कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

क्रमांकः राजस्व/2025/450 दिनांकः 27/01/25

—: प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि सुगरा शिक्षण संस्थान के खाते दर्ज वर्तमान खसरा संख्या 91/3 रकबा 1.88है0 वाके ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव दर्ज रिकॉर्ड है जो कि पूर्व खसरा संख्या 91 रकबा 2.88है0 में से नामांतरण संख्या 134 दिनांक 24.12.2002 से 0.88है0 तथा नामांतरण संख्या 90 दिनांक 05.11.2001 से 1.00है0 भूमि आवंटित की गई थी। रिपोर्ट आपके प्रासंगिक पत्रांक 132 दिनांक 21.01.2025 के क्रम में प्रेषित है।

तहसीलदार लाडपुरा
जिला कोटा (राज.)

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान RAJASTHAN

AG 359863

कोषाधिकारी कोटा
06 MAR 2017
राजस्थान

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

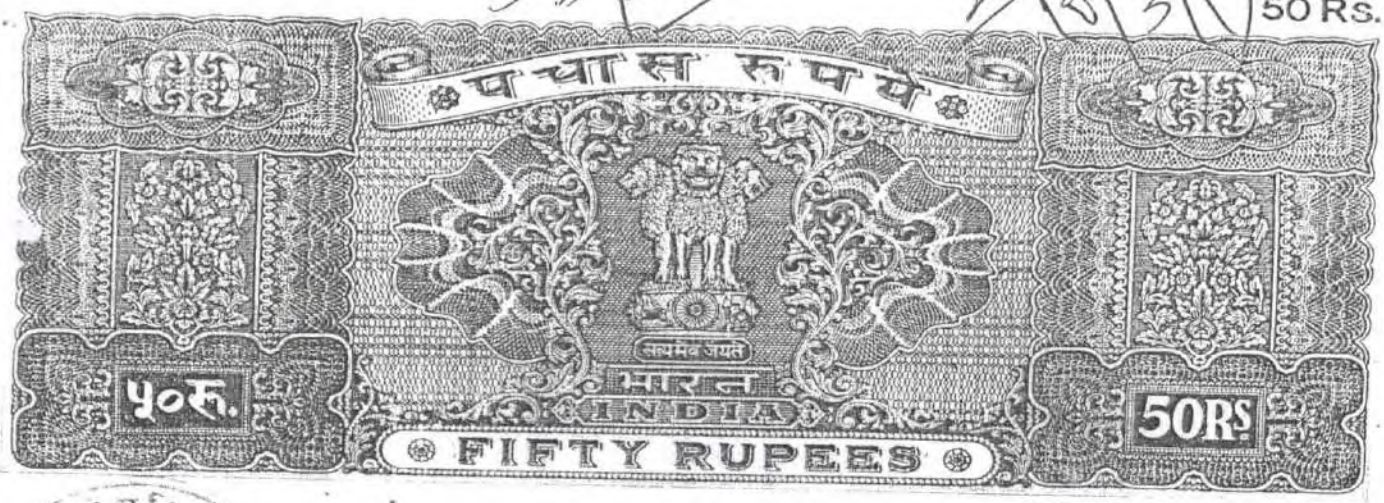

50 Rs.

लीजडीड

यह पट्टा विलेख आज दिनांक ..... 2001 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे पट्टाकर्ता कहेंगें , जिस अभिव्यक्ति में , जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो , पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिति (**Permitted assignees**) सम्मिलित है , एक पक्ष और दूसरे पक्ष में "सुगरा शिक्षण संस्थान, कोटा " जिला कोटा राज0 जिसे आगे पट्टेदार कहेंगें और अभिव्यक्ति में , जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्तीत न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिति सम्मिलित है , के मध्य किया गया है।

भूमि का विवरण

1– नाम ग्राम	:	ग्राम दोलतगंज उर्फ नयागांव
2–तहसील	:	तहसील लाडपुरा
3–खसरा नम्बर	:	ख0नं0 91 रकबा 3.45 हैक्टर में से 1हैक्टर भूमि ।
4–किस्म भूमि	:	बंजड़
5–आदेश कमांक	:	प. 2(8)(10)/राज0/II/2001/4752–57 दिनांक 9–8–2001

सीमांकन

पूर्व	:– खसरा नम्बर 90
पश्चिम	:– खसरा नम्बर 91 का शेष भाग
उत्तर	:– खसरा नम्बर 90
दक्षिण	:– खसरा नम्बर 92/539 एवं ख0नं0 91

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

फोटो की प्रमाणित

वास्ते सुगरा शिक्षण संस्थान कोटा

महासचिव

मन पूर्णतया सन्तोष का लिया है कि यह लेख पत्र श्रीमान् जिला कलेक्टर झालावाड़ कोटा से अपने सरकारी हस्ताक्षरों से हस्तक्षेप किया जाता है तथा इस लेख पत्र को पंजीयन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उप पंजीयक मंडाना
जिला कोटा

आज दिनांक 06 मास 10 सन् 1900
को 2.00 बजे व 3.00 बजे के मध्य मण्डाना के उपपंजीयन कार्यालय में श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
उम्र 43 वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय व्यापार
निवासी [illegible] ने यह लेख पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक मण्डाना
जिला कोटा

उक्त निष्पादन कर्त्ता/कर्त्राओं [illegible]
ने इस लेख पत्र का होना मेरे समक्ष स्वीकार किया। प्रतिफल रकम रु. 32,500/- में से 32,500/- रुपये पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार किया तथा शेष रकम रुपये ... मेरे समक्ष प्राप्त किये।

उप पंजीयक मण्डाना

बही नं०	12151/12
रजि० फीस	3250/-
नकल फीस	50/-
वृद्धोकन फीस	30/-
दस्ती फीस	41100/-
स्टैम्प फीस	44950/-

उप पंजीयक, मंडाना
जिला कोटा

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

50 Rs.

चूंकि पट्टाकर्ता , नींचे बताई गई शर्तो पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा करने के लिये सहमत हुआ है ,जिसका नक्शा ट्रेस लीज भूमि दर्शाते हुऐ संलग्न है :–

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है :–

1– यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता एतद्द्वारा कथित भूमि दिनांक 9–8–2001 से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता है ।

2– यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत हैं :–

2.1 अन्तर राशि बनती है ,तो पट्टेदार जमा कराने के लिये कानूनन बाध्य होगा ।

2.2 वार्षिक लीजरेन्ट /प्रीमियम यदि कोई देय होगा तो पट्टेदार लीजरेन्ट/प्रीमियम जमा कराने के लिये बाध्य होगा ।

2.3 यह कि पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिए होगी ,99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा , और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है , जिसके लिये भूमि आवंटन हुई थी, और उसी प्रयोजन के लिए यदि हुआ तो अवधि को आगे 99 वर्ष की अवधि के लिए नवीनींकरण किया जा सकेगा ।

3– यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए उसका आवंटन हुआ है , और आवंटन से 6 माह के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 2 वर्ष में निर्माण पूरा करना होगा । जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है , परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल या कालेज बनाने के लिए आवंटन हुई है , उसका उपयोग उक्त स्कूल या कालेज संबंधित प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा ।

4– यह कि भूमि सम्पत्ति के अधिकार सरकार में निहित होंगें।

फोटो नहीं प्रमाणित

वास्ते सुमरा शिक्षण संस्थान कोटा

सहसचिव

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

अंक - निष्पादन कर्ता / कर्त्ताओं की पहचान

(1) श्री रामनारायण ..... पुत्र मोड़ीलाल
आयु 65 वर्ष जाति गुर्जर ..... व्यवसाय नौकरी
निवासी केवलगढ़ ..... से तथा

(2) श्री इदरीस ..... पुत्र मोहम्मद याकूब पठान
जाति मुसलमान व्यवसाय मुर्गे फड़ी
कोटड़ी कोटा से पहचाना ।

रामनारायण

दाब चिन्हांक ...06.. मार्क ...10..... वर्ष 19..2001
में पुस्तक संख्या ..... जिल्द संख्या ...44.....
क्रम संख्या ...855... पृष्ठ संख्या ...61... से .....
पर पंजीबद्ध किया गया ।

प्रतिलिपि [illegible] संख्या 1 की जिल्द
सं० ...12... में पृष्ठ [illegible] 5-7 .. क्रमांक ...06...
पर ...10... [illegible] चिपकाई गई ।

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

50 Rs.

5– यह कि पट्टे पर दी गई भूमि पर सन्निर्मित भवन या प्रारम्भ किये गये संस्थान का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा , और उस पर सन्निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय , उप पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और दुराशय से उसका दुर्भावना पूर्ण हस्तान्तरण पट्टेदार के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जावेगा ।

6– स्थल पर निर्माण कार्य से पूर्व भू–उपयोग परिवर्तन / निर्माण स्वीकृति संबंधित विभाग से नियमानुसार लिया जाना होगा ।

7– पट्टेदार उपरोक्त समस्त शर्तों को पूरा करने के लिए कानूनन बाध्य होंगा ।

8– उपर वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा मैं भूमि तथा उस पर सन्निर्मित भवन बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे के वापस सरकार में निहित हो जावेगी ।

उप पंजीयक, मण्डाना
जिला– कोटा (राज०)

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये हैं

वास्ते कौशल विद्या संस्थान, कोटा
महासचिव

हस्ताक्षर पट्टेदार

सरकार की ओर से हस्ताक्षर
जिला कलक्टर
कोटा

साक्षी :– 1–

साक्षी–1– जोगेन्द्र सिंह चौधरी
व० लि०

2–

2– गोविन्द सिंह आ० सहा०

फोटो प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, मण्डाना

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

राजस्थान RAJASTHAN

AG 359858

कोटा कचहरी कोटा

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

लीज–डीड

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 15-6- सन् 2002 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे पट्टाकर्ता कहेंगे, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक विषय या संदर्भ से अववर्तित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिति (Permitted Assignees) सम्मिलित है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में "सुगरा शिक्षण संस्थान, कोटा" जिला कोटा राजस्थान जिसे आगे पट्टेदार कहेंगे और अभिव्यक्ति में, जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्तित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिति सम्मिलित है, के मध्य किया गया है।

भूमि का विवरण

1	नाम ग्राम	:	ग्राम लीलतगंज उर्फ नयागांव
2	तहसील	:	लाडपुरा
3	खसरा नम्बर	:	91, रकबा 2.80 हैक्टर में से .88 हैक्टर भूमि
4	किस्म भूमि	:	बंजड़
5	आदेश क्रमांक	:	प.2181 116 राजस्व/TT /2002/3812-17 दिनांक 24.05.2002

महासचिव
सुगरा शिक्षण संस्थान, कोटा

सीमांकन

पूर्व	:	खसरा नं.–90
पश्चिम	:	खसरा नं.–91 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा नं.–91/546
दक्षिण	:	खसरा नं.–92/539, 97, 98

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

फोटो प्रति प्रमाणित.

उप पंजीयक, कोटा

मैंने पूर्णतया सन्तोष कर लिया है कि यह लेख पत्र श्रीमान् जिलाकलक्टर महो०कोटा अपने सरकारी रूप से निष्पादित किया। उपस्थिति और हस्ताक्षरों में दृष्टिक्षेप किया जाना है तथा इस लेख पत्र को पंजीयन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उप पंजीयक मंडाना
जिला कोटा

आज दिनांक 8 माह 10 सन् 19 2002
को 4:00 बजे व 5:00 बजे के मध्य मण्डाना के उपपंजीयन
कार्यालय में श्री इशाक पठान
पुत्र श्री सोहराबखां खां
उम्र 30 वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय व्यापार
निवासी थोड़ी कोटा ने यह लेख पत्र पंजीयन हेतु
प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक मण्डाना
जिला कोटा

उक्त निष्पादन कर्ता/कर्त्राओं इशाक ने
इस लेख पत्र का होने पर समक्ष स्वीकार
किया। प्रतिफल रकम रु० 34375/-
में से 34375/- रुपये पूर्व में प्राप्त करके
स्वीकार किया तथा शेष रकम रुपये ...
के ... प्राप्त किये।

उप पंजीयक मण्डाना

19594182
पी० नं० 6876/
जि० फीस 50/-
सकल फीस 30/-
मुद्रांकन फीस 20/-
रकबा फीस 3951/-
प्रिन्टिंग फीस
योग 44490/-

उप पंजीयक, मंडाना
जिला कोटा

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

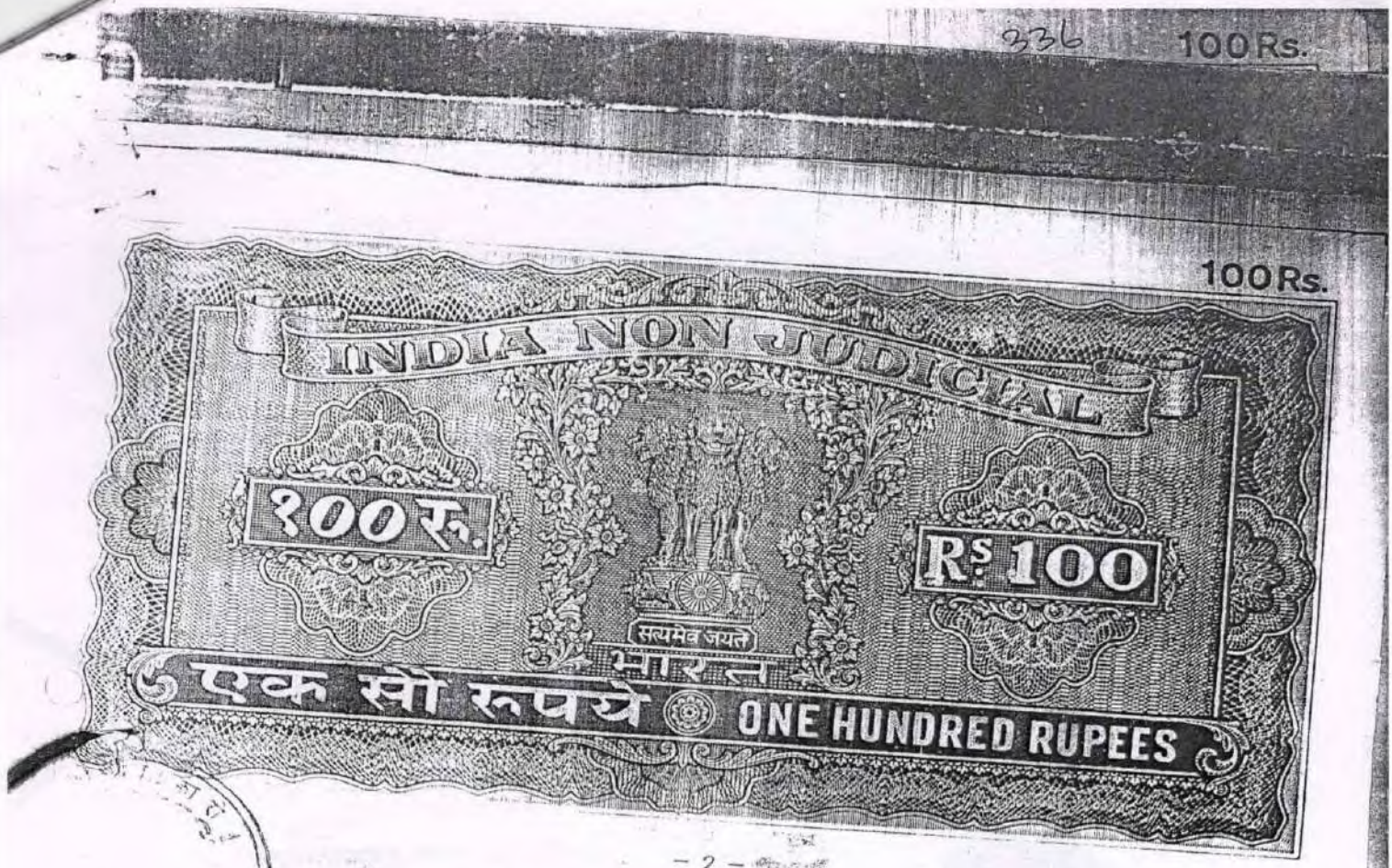

चूंकि पट्टकर्ता, नीचे बताई गई शर्तों पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिये उक्त भूमि का पट्टा करने के लिये सहमत हुआ है। जिसका नक्शा ट्रेस लीज भूमि दर्शाते हुये संलग्न है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है:–

1 यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता एतद्द्वारा कथित भूमि दिनांक 24.05.2002 से 99 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता है।

2 यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत हैं :–

2.1 अन्तर राशि बनती है तो पट्टेदार जमा कराने के लिये कानूनन बाध्य होगा।

2.2 वार्षिक लीज रेन्ट/प्रीमियम यदि कोई देय होगा तो पट्टेदार लीज रेन्ट/प्रीमियम जमा कराने के लिये बाध्य होगा।

2.3 यह कि पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिये होगी, 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है जिसके लिये भूमि आवंटित हुई थी और उसी प्रयोजन के लिये हुआ तो अवधि को आगे 99 वर्ष की अवधि के लिय नवीनीकरण किया जा सकेगा।

महासचिव
बुणरा शिक्षण सं[illegible], कोटा

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

3 यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये उसका आवंटन हुआ है, और आवंटन से छः माह के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर दो वर्ष में निर्माण पूरा करना होगा। जिसके लिये भूमि का आवंटन हुआ है, परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल या कॉलेज बनाने के लिये आवंटन हुई है उसका उपयोग केवल स्कूल या कॉलेज संबंधी प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।

फोटो प्रति [illegible]

4 यह कि भूमि सम्पत्ति के अधिकार सरकार में निहित होंगे।

उक्त निष्पादन कर्ता / कर्ताओं की शनाख्त

1) श्री रामनारायण पुत्र भोड़ूलाल
आयु 48 वर्ष जाति गूजर व्यवसाय कृषि
निवासी केथल जगर ने तथा

2) श्री गुलाबिक कली पुत्र सैयद मकसूदकली
आयु वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय कृषि
निवासी विरोनकलां विधे कोटा

उप पंजीयक कोटा

दस्तावेज क्रमांक 23 माह 10 सन् 2002
बही पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 19
क्रम संख्या 334 से
पर पंजीबद्ध किया गया।
प्रतिलिपि शुल्क की जिल्द
नं० 31 में पृष्ठ 334-37 कि 23
तथा 10 सन् 2002 बकाई गई।

उपखण्ड अधिकारी

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

336 100Rs.

यह कि पट्टे पर दी गई भूमि पर सन्निर्मित भवन या प्रारम्भ किये गये संस्थान का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये होगा, और उस पर सन्निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय तथा पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और दुराशय से उसका दुर्भावना पूर्ण हस्तान्तरण पट्टेदार के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जावेगा।

6 स्थल पर निर्माण कार्य से पूर्व भू–उपयोग परिवर्तन/निर्माण स्वीकृति संबंधित विभाग से नियमानुसार लिया जाना होगा।

7 पट्टेदार उपरोक्त समस्त शर्तों को पूरा करने के लिये कानूनन बाध्य होगा।

8 ऊपर वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में भूमि तथा उस पर सन्निर्मित भवन बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे के वापस सरकार में नीहित हो जावेगी।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये है।

जिला कलक्टर
सरकार की ओर से हस्ताक्षर
कोटा

हस्ताक्षर पट्टेदार

महासचिव
कुशल शिक्षण संस्थान, कोटा

PRINCIPAL
KAUTILYA MAHILA SHIKSHAK
PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAY
NAYAGAON,KOTA (RAJ.)

साक्षी–1. जोगेन्द्र सिंह चौधरी
वरिष्ठ लिपिक

2. गोविन्द सिंह
कार्यालय सहायक

उप पंजीयक, मण्डाना
जिला– कोटा (राज०)